जिला सूचना कार्यालय, बहराइच।

प्लांट एवं मशीनरी क्रय हेतु उद्योग विभाग दी जायेगी सब्सिडी

दिनांक :– 11-10-2018

बहराइच। शासन द्वारा उ.प्र. लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना–2016 संचालित की जा रही है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजनान्तर्गत 12 अगस्त 2016 के पश्चात नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्लांट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिए गये बैंक ऋण पर देय ब्याज पर उद्योग विभाग द्वारा 'उपादान (सब्सिडी)' 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 03 लाख रूपये प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से पांच वर्षों तक प्रदान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

....

मोबाइल नम्बर 9453005402, दूरभाष नम्बर–05252 2329901, ई–मेल आईडी– dio.bahraich@gmail.com